[2018] 3 एस.सी.आर. 665

पी श्रीकुमार

बनाम

केरल राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील क्रमांक 408 वर्ष 2018) मार्च 19, 2018

[आर के अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 482 - एक ही अपराध के संबंध में और एक ही आरोपी के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गईं - क्या बाद की एफआईआर रद्द करने योग्य थी - मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता एक ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी ट्रस्टी था और प्रतिवादी नंबर 2 ट्रस्टियों में से एक था और प्रतिवादी नंबर 3 ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष था -प्रतिवादी नंबर 2 ने अपीलकर्ता, प्रतिवादी नंबर 3 और तीन बैंक अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की और आरोप लगाया कि उन्होंने मिलकर ट्रस्ट को धोखा देने की साजिश रची और ट्रस्ट के लगभग 42 लाख रुपये निकाल लिए। एफआईआर दर्ज की गई - इसके बाद, अपीलकर्ता ने धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्रतिवादी नंबर 3 के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की - अपीलकर्ता अपने खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने में विफल रहा - हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 3 ने अपीलकर्ता द्वारा उसके खिलाफ दायर एफआईआर को इस आधार पर रद्द करने के लिए सफलतापूर्वक आवेदन दायर किया कि उसे तथ्यों के एक ही सेट पर और दो अलग-अलग अदालतों में एक ही अपराध के लिए दो परीक्षणों का सामना नहीं करना पड़ सकता है -अत: अपील- माना गया: अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी नंबर 3 के खिलाफ दायर की गई दूसरी एफआईआर हालांकि उसी घटना से संबंधित है जिसके लिए पहली एफआईआर प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा अपीलकर्ता, प्रतिवादी नंबर 3 और तीन बैंक अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई थी फिर भी दूसरी एफआईआर कानूनी रूप से कायम रखने योग्य थी और इसकी योग्यता के आधार पर सुनवाई की जा सकती थी, क्योंकि दूसरी एफआईआर उसी व्यक्ति द्वारा दर्ज नहीं की गई थी, जिसने पहली एफआईआर दर्ज की थी, दूसरी बात यह कि यह अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवाद के रूप में दायर की गई थी। प्रतिवादी नंबर 3 के खिलाफ शिकायत और तीसरी पहली एफआईआर एक सेट के आरोपों के आधार पर पांच व्यक्तियों के खिलाफ थी जबकि दूसरी एफआईआर पहली एफआईआर में लगाए गए आरोपों से अलग आरोपों पर आधारित थी - प्रतिवादी नंबर 3 के खिलाफ मुकदमा कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर चलाने के लिए उसकी फाइल में बहाल कर दिया गया।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा:-

कानून में दूसरी एफआईआर दर्ज करने पर कोई रोक नहीं है और एक बार यह दर्ज हो जाने के बाद, ऐसी एफआईआर पर ध्यान दिया जा सकता है और कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी नंबर 3 के खिलाफ दायर की गई दूसरी एफआईआर हालांकि उसी घटना से संबंधित है जिसके लिए पहली एफआईआर प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा अपीलकर्ता, प्रतिवादी नंबर 3 और तीन बैंक अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई थी। फिर भी प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ प्रति-शिकायत की प्रकृति की दूसरी

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

एफआईआर कानूनी रूप से कायम रखने योग्य थी और इसके गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए इस पर विचार किया जा सकता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे पहले, दूसरी एफआईआर उसी व्यक्ति द्वारा दर्ज नहीं की गई थी, जिसने पहली एफआईआर दर्ज की थी। अगर ऐसा होता तो स्थिति कुछ अलग होती। यहाँ ऐसा मामला नहीं था। दूसरा, इसे अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध प्रति-शिकायत के रूप में दायर किया गया था; तीसरा, पहली एफआईआर एक सेट के आरोपों के आधार पर पांच व्यक्तियों के खिलाफ थी जबकि दूसरी एफआईआर पहली एफआईआर में लगाए गए आरोपों से अलग आरोपों पर आधारित थी। मजिस्ट्रेट अब गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला करने की कोशिश करेगा और ऐसा करते समय, वह पक्षों द्वारा पेश किए गए सबूतों के आलोक में मामले में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों की सभी कोणों से जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि साक्ष्य में अपीलकर्ता सहित किसी भी व्यक्ति(व्यक्तियों) के खिलाफ रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री कथित अपराधों के कमीशन में ऐसे किसी भी व्यक्ति(व्यक्तियों) की संलिप्तता का संकेत देती है, वह ऐसे किसी भी व्यक्ति(व्यक्तियों) के खिलाफ कानून के अनुसार आगे बढ़ने और हमारी किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना कार्यवाही को उसके तार्किक अंत तक लाने के लिए स्वतंत्र होगा। [पैरा 31, 32, 33, 35, 36] [672-जी-एच; 673-ए-सी, एफ-जी]

उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश एवं अन्य (2004) 13 एससीसी 292; सुरेंद्र कौशिक और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2013) 5 एससीसी 148: [2013] 1 एससीआर 1053 - पर भरोसा किया गया।

हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजनलाल (1992) 1 सप्ल एससीसी 335: [1990] 3 सप्ल एससीआर 259; मधु लिमये बनाम महाराष्ट्र राज्य (1977) 4 एससीसी 551: [1978] 1 एससीआर 749; आरपी कपूर बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1960 एससी 866: [1960] एससीआर 388 - संदर्भित। पी श्रीकुमार बनाम केरल राज्य और अन्य

केस कानून संदर्भ

[1990] 3 पूरक। एससीआर 259__ पैरा 26 में संदर्भित है

[1978] 1 एससीआर 749 पैरा 26 को संदर्भित करता है

[1960] एससीआर 388 पैरा 26 को संदर्भित करता है

(2004) 13 एससीसी 292 पैरा 28 पर निर्भर था

[2013] 1 एससीआर 1053 पैरा 30 पर निर्भर था

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 408 वर्ष 2018

केरल उच्च न्यायालय स्थित एर्नाकुलम के निर्णय और आदेश दिनांक 27.05.2014 के विरुद्ध आपराधिक विविध संख्या 2641 वर्ष 2007 में।

जयंत भूषण, वरिष्ठ वकील, मनोज वी जॉर्ज, सुश्री शिल्पा लिज़ा जॉर्ज, तौसीफ अहमद डार, कमलेंद्र मिश्रा, अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता।

व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी।

न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे द्वारा सुनाया गया।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

1)अनुमति प्रदान की गई।

2) यह अपील क्रिमिनल एमसी नंबर 2641 वर्ष 2007 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 27.05.2014 के खिलाफ निर्देशित है। जिससे उच्च न्यायालय ने हस्ताक्षर सत्यापित नहीं होने पर आरोपी-प्रतिवादी द्वारा दायर याचिका को यहां आशा सुंद्रियाल नंबर 3 द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया और प्रथम सूचना रिपोर्ट (अनुलग्नक II) को रद्द कर दिया, दिनांक: 2018.03.19 17:29:11 IST कारण: आरोप -शीट (अनुलग्नक III) और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही जेएफसीएम-II, एर्नाकुलम की फाइल पर सीसी नंबर 2682 वर्ष 2002 के रूप में लंबित है।

3) मामले में शामिल तथ्य एक संकीर्ण दायरे में हैं, इसलिए अपील में शामिल मुद्दा भी छोटा है। तथ्य यहां नीचे उल्लिखित हैं:

4) नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है – विध्योदय ट्रस्ट (बाद में इसे "ट्रस्ट" कहा जाएगा) जिसका कार्यालय केरल राज्य में एसएन जंक्शन, पलारीवट्टोम में है। ट्रस्ट शैक्षिक गतिविधियों में लगा हुआ है और केरल राज्य में शैक्षिक संस्थान चलाता है।

5) यहां अपीलकर्ता ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी ट्रस्टियों में से एक है, जबकि प्रतिवादी नंबर 2 ट्रस्टियों में से एक है और प्रतिवादी नंबर 3 प्रासंगिक समय में ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष था।

6)17.10.2001 को, प्रतिवादी नंबर 2 (ट्रस्टी) ने अपीलकर्ता, प्रतिवादी नंबर 3 (कोषाध्यक्ष) के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज की और बैंक के तीन बैंक अधिकारियों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 200 (अनुलग्नक-पी-14) के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एर्नाकुलम (2001 का सीसी नंबर 15877) की अदालत में मुकदमा दायर किया।

7)शिकायत में अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता, प्रतिवादी नंबर 3 और तीन बैंक अधिकारियों ने मिलकर ट्रस्ट को धोखा देने की साजिश रची और अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए ट्रस्ट की लेखा पुस्तकों और कई दस्तावेजों में हेरफेर और जालसाजी करके ट्रस्ट के बैंक खातों से लगभग 42 लाख रुपये निकालने में कामयाब रहे।

8) उपरोक्त शिकायत के अनुसार, भारतीय दंड संहिता, 1908 की धारा 34 के साथ पठित धारा 408, 409, 420, 467, 468, 473, 477 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपराध मामला संख्या 817 वर्ष 2001 में एक एफआईआर (इसके बाद) "आईपीसी" के रूप में संदर्भित) दर्ज किया गया था जिसमें कथित अपराध के संबंध में अपीलकर्ता प्रतिवादी नंबर 3 और तीन बैंक अधिकारियों को आरोपी व्यक्तियों के रूप में नामित किया गया था।

9) उपरोक्त घटना के कारण अपीलकर्ता (मुख्य कार्यकारी ट्रस्टी) द्वारा उत्तर पुलिस स्टेशन एर्नाकुलम में प्रतिवादी संख्या 3 (ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष) के खिलाफ धारा 406, 409, 465, 467 और 471 आईपीसी की धारा के तहत एफआईआर संख्या 5 वर्ष 2002 दर्ज की गई। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी नंबर 3 वह व्यक्ति था, जो धोखाधड़ी और जालसाजी में शामिल था और वह अपने पद का दुरुपयोग करके ट्रस्ट से संबंधित धन निकालने में कामयाब रहा। इस एफआईआर के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 3 (ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष) को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

10) इसके बाद पुलिस ने एफआईआर संख्या 5 वर्ष 2002 के संबंध में जांच की और आरोप पत्र संख्या 166 वर्ष 2002 (अनुलग्नक- पी-17) प्रस्तुत किया।

11) जहां तक अपराध मामला संख्या 817 वर्ष 2001 से उत्पन्न शिकायत मामला संख्या 15877 वर्ष 2001 का संबंध है, यह आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 408, 409, 420, 467, 468, 473, 477 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए अपीलकर्ता, प्रतिवादी नंबर 3 और तीन बैंक अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में जांच की और 06.02.2003 को अपनी अंतिम रिपोर्ट दायर की जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ता और तीन बैंक अधिकारियों (रिपोर्ट में आरोपी संख्या 2, 3, 4 और 5 के रूप में वर्णित) के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया था। इसलिए, इन चारों आरोपियों को अपराध प्रकरण संख्या 817 वर्ष 2001 से दोषमुक्त कर दिया गया। (अनुलग्नक-पी-18)।

12) प्रतिवादी नंबर 2, यानी ट्रस्टी ने हालांकि अंतिम रिपोर्ट दिनांक 06.02.2003 से व्यथित महसूस करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एर्नाकुलम के समक्ष एक विरोध याचिका (सीसी नंबर 28 वर्ष 2004) दायर की और अंतिम रिपोर्ट में उल्लिखित अपराधों का संज्ञान लेने के लिए प्रार्थना की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 3 को 22.07.2004 को अदालत के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया।

13) प्रतिवादी संख्या 3 ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक एमसी संख्या 2641 वर्ष 2007 दायर की, जिसमें उसके खिलाफ अपीलकर्ता के अनुरोध पर जेएमएफसी II की अदालत में लंबित अपराध मामले संख्या 5 वर्ष 2002 में दायर अंतिम रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई।

14) अपने आवेदन में, प्रतिवादी नंबर 3 ने, संक्षेप में, तर्क दिया कि उसे तथ्यों के एक ही सेट पर और दो अलग-अलग न्यायालयों में एक ही अपराध के लिए दो परीक्षणों का सामना नहीं करना पड़ सकता है। इसलिए, उन्होंने प्रार्थना की कि जहां तक अपीलकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर अपराध मामला संख्या 5 वर्ष 2002 और उसमें दायर आरोप पत्र का संबंध है, वे रद्द किए जाने योग्य हैं।

15) इस बीच, कोड की धारा 482 के तहत दो आपराधिक विविध आवेदन केरल उच्च न्यायालय में दायर किए गए थे, आपराधिक एमसी संख्या 1732 वर्ष 2004 और आपराधिक एमसी संख्या 2641 वर्ष 2007।

16) जहां तक क्रिमिनल एमसी नंबर 1732 वर्ष 2004 का सवाल है, यह अपीलकर्ता द्वारा यहां दायर किया गया था जिसमें उसने शिकायत मामले संख्या 2682 वर्ष 2002 के संबंध में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट II एर्नाकुलम (अपराध मामला संख्या 5 वर्ष 2002) की अदालत में उसके खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।

17) जहां तक क्रिमिनल एमसी नंबर 2641 वर्ष 2007 का सवाल है, यह प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ जेएमएफसी-द्वितीय एर्नाकुलम की अदालत में अपीलकर्ता द्वारा उसके खिलाफ दायर एफआईआर/चार्ज-शीट को चुनौती देते हुए दायर किया गया था (सीसी नंबर 2682 वर्ष 2002)।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

18) आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आपराधिक एमसी संख्या 1732 वर्ष 2004 को खारिज कर दिया, जो अपीलकर्ता द्वारा दायर किया गया था, और उसमें चुनौती दी गई कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया। एकल न्यायाधीश ने कहा, "इस स्तर पर शिकायत को रद्द करना संभव नहीं है"।

19) जहां तक क्रिमिनल एमसी नंबर 2641 वर्ष 2007 का संबंध है, एकल न्यायाधीश ने उसी आक्षेपित आदेश द्वारा उक्त क्रिमिनल एमसी को अनुमति दे दी और एफआईआर और उसके अनुसार दायर आरोप पत्र को रद्द कर दिया।

20) अपीलकर्ता को उच्च न्यायालय द्वारा उसकी याचिका (क्रिमिनल एमसी नंबर 1732/2004) खारिज होने से दुख हुआ। उस आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में एसएलपी (आपराधिक) संख्या 6319/2014 और वर्तमान एसएलपी नामक दो एसएलपी दायर कीं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ दायर एफआईआर/चार्ज-शीट को रद्द कर दिया था और आपराधिक एमसी आवेदन 2641 वर्ष 2007 की अनुमति दी थी।

21) इस न्यायालय ने 06.03.2018 को अपीलकर्ता एसएलपी संख्या 6319/2014 को निष्फल मानते हुए खारिज कर दिया क्योंकि इसके लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता और अन्य तीन बैंक अधिकारियों को सक्षम न्यायालय द्वारा मामले से मुक्त कर दिया गया था। इसलिए, अपीलकर्ता ने एसएलपी का पालन नहीं किया।

22) इन पृष्ठभूमि तथ्यों के साथ, इस अपील में विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय (एकल न्यायाधीश) द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर आपराधिक एमसी संख्या 2641/2007 को अनुमति देना उचित था और इस तरह प्रतिवादी नंबर 3 के खिलाफ दायर एफआईआर/चार्ज-शीट और जेएमएफसी-II, एर्नाकुलम की फाइल पर सीसी नंबर 2682 वर्ष 2002 के रूप में लंबित एफआईआर/चार्ज-शीट से उत्पन्न सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द करना उचित था।

23) अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयंत भूषण, प्रतिवादी नंबर 1 और प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील सुश्री लिज़ मैथ्यू को सुना, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

24) अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील को सुनने के बाद, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे, हम अपील की अनुमति देने और आपराधिक एमसी संख्या 2641 वर्ष 2007 में पारित किए गए आदेश को रद्द करने के लिए इच्छुक हैं।

25) उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रश्न यह था कि यदि एक ही अपराध के संबंध में और एक ही आरोपी के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की जाती हैं, तो क्या बाद की एफआईआर रद्द की जा सकती है या नहीं।

26) एकल न्यायाधीश ने हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजनलाल, (1992) सप्लिमेंट (1) एससीसी 335, में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के तीन फैसलों पर भरोसा जताया। मधु लिमये बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1977 (4) एससीसी 551 और आरपी कपूर बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1960 एससी 866 और संहिता की धारा 482 के तहत दूसरी एफआईआर/चार्जशीट को रद्द कर दिया।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

27) हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने बाद की एफआईआर/चार्ज-शीट को रद्द करने में क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की थी, जो विषय पर कानून का उल्लेख किए बिना प्रतिवादी नंबर 3 के खिलाफ अपीलकर्ता के कहने पर दायर की गई थी।

28) हमारी राय में, अपील में शामिल विवाद को नियंत्रित करने वाले विषय पर कानून अब एकीकृत नहीं है और उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश और अन्य (2004) 13 एससीसी 292 में रिपोर्ट किए गए मामले में इस न्यायालय (तीन-न्यायाधीश पीठ) के फैसले द्वारा तय किया गया है और उसके बाद के निर्णयों से भी।

29) इस विषय पर पिछले सभी मामलों के कानूनों की जांच करने के बाद उनके आधिपत्य ने न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े के माध्यम से निम्नलिखित शब्दों में कानून का निम्नलिखित प्रस्ताव रखा:

"23. जैसा भी हो, यदि टीटी एंटनी मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को यह मानते हुए स्वीकार किया जाए कि उसी घटना के संबंध में प्रति-शिकायत के रूप में दायर की गई दूसरी शिकायत संहिता के तहत निषिद्ध है, तो हमारी राय में , इस तरह के निष्कर्ष से गंभीर परिणाम होंगे। यह नीचे दिए गए काल्पनिक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा यानी यदि वास्तविक आरोपी द्वारा किए गए अपराध के संबंध में वह झूठी शिकायत दर्ज करने का पहला अवसर लेता है और उसे क्षेत्राधिकार पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है तो ऐसे अपराध का पीड़ित पीड़ित होगा। उसे घटना के बारे में अपना पक्ष बताते हुए शिकायत दर्ज करने से रोक दिया जाएगा, परिणामस्वरूप वह वास्तविक आरोपी को न्याय के कटघरे में लाने के अपने वैध अधिकार से वंचित हो जाएगा। यह संहिता का अभिप्राय नहीं हो सकता।

24. हम पहले ही देख चुके हैं कि टीटी एंटनी मामले में इस न्यायालय ने किसी पीड़ित व्यक्ति के प्रतिदावा दायर करने के कानूनी अधिकार पर विचार नहीं किया, इसके विपरीत उक्त निर्णय में पाई गई टिप्पणियों से यह स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि प्रति-शिकायत दायर करना स्वीकार्य है।

25. वर्तमान मामले में, यह 20-5-1995 को हुई घटना के संबंध में देखा गया है, अपीलकर्ता और पहले प्रतिवादी ने अलग-अलग संस्करण देते हुए अलग-अलग शिकायतें दर्ज की हैं, लेकिन जबकि प्रतिवादी की शिकायत दर्ज की गई थी संबंधित पुलिस में, अपीलकर्ता की शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए उसकी प्रार्थना पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित पुलिस को मामला दर्ज करने और उसकी जांच करने और वापस रिपोर्ट करने का निर्देश देना उचित था। हमारी राय में, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की कि यह संहिता की धारा 161 या 162 से प्रभावित है, जिसका, हमारी सुविचारित राय में, शामिल प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संहिता की धारा 161 या 162 किसी मामले के पंजीकरण का उल्लेख नहीं करती है, यह केवल जांच के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज किए जाने वाले बयान और उसके साक्ष्य मूल्य की बात करती है।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

30) उपरोक्त सिद्धांत को इस न्यायालय (दो न्यायाधीशों की पीठ) ने सुरेंद्र कौशिक और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2013) 5 एससीसी 148 में निम्नलिखित शब्दों में दोहराया था:

"24. उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि एक ही घटना के संबंध में दो एफआईआर दर्ज करने की अनुमति नहीं है। समानता की अवधारणा को एक प्रतिबंधित अर्थ दिया गया है। इसमें उसी या संबंधित संज्ञेय अपराध से संबंधित काउंटर-एफआईआर दर्ज करना शामिल नहीं है। क्या वर्जित है, जांच के लिए संहिता के तहत मामला दर्ज होने के बाद उसी शिकायतकर्ता और अन्य लोगों द्वारा उसी आरोपी के खिलाफ कोई और शिकायत की जाती है। उस संबंध में कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी होगी और आगे की शिकायत दर्ज करने की अनुमति देने से मूल शिकायत में उल्लिखित तथ्यों में सुधार होगा। जैसा कि उपकार सिंह मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने आगे स्पष्ट किया है, निषेधाज्ञा पहली एफआईआर में आरोपी द्वारा एक ही घटना के एक अलग संस्करण का आरोप लगाते हुए लगाए गए आरोपों को कवर नहीं करती है।

इस प्रकार, एक ही घटना के संबंध में प्रतिद्वंद्वी संस्करण अलग-अलग आकार लेते हैं और उस स्थिति में, दो एफआईआर दर्ज करने की अनुमति है।

31) कानून के उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जब हम मामले के तथ्यों की जांच करते हैं, हमने पाया कि अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी नंबर 3 के खिलाफ दायर की गई दूसरी एफआईआर हालांकि उसी घटना से संबंधित है जिसके लिए पहली एफआईआर प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा अपीलकर्ता, प्रतिवादी नंबर 3 और तीन बैंक अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई थी। फिर भी प्रतिवादी नंबर 3 के खिलाफ जवाबी शिकायत की प्रकृति की दूसरी एफआईआर कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य थी और इसकी योग्यता के आधार पर सुनवाई के लिए इस पर विचार किया जा सकता था।

32) दूसरे शब्दों में, कानून में दूसरी एफआईआर दर्ज करने पर कोई रोक नहीं है और एक बार दर्ज होने के बाद, ऐसी एफआईआर पर ध्यान दिया जा सकता है और कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

33) इसका कारण यह है कि सबसे पहले, दूसरी एफआईआर उसी व्यक्ति द्वारा दर्ज नहीं की गई थी, जिसने पहली एफआईआर दर्ज की थी। अगर ऐसा होता तो स्थिति कुछ अलग होती। यहाँ ऐसा मामला नहीं था; दूसरा, इसे अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध प्रति-शिकायत के रूप में दायर किया गया था; तीसरा, पहली एफआईआर एक सेट के आरोपों के आधार पर पांच व्यक्तियों के खिलाफ थी जबकि दूसरी एफआईआर पहली एफआईआर में लगाए गए आरोपों से अलग आरोपों पर आधारित थी; और अंत में, उच्च न्यायालय ने दूसरी एफआईआर/चार्ज-शीट को रद्द करते समय उपकार सिंह (सुप्रा) और सुरेंद्र कौशिक के मामलों में इस न्यायालय के दो उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून के आलोक में मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे की जांच नहीं की। (सुप्रा) और बस ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय के तीन निर्णयों का उल्लेख किया। जिसमें इस न्यायालय ने संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित कानून के सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए हैं।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

34) उपरोक्त चर्चा और ऊपर उल्लिखित चार कारणों के आलोक में, हम उच्च न्यायालय के तर्क और निष्कर्ष से सहमत होने में असमर्थ हैं और इसलिए, विवादित आदेश को रद्द करने के इच्छुक हैं।

35) मजिस्ट्रेट अब गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई और निर्णय करने के लिए आगे बढ़ेगा और ऐसा करते समय, वह पक्षों द्वारा पेश किए गए सबूतों के आलोक में मामले में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों की सभी कोणों से जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा। .

36) यदि मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि साक्ष्य में अपीलकर्ता सहित किसी भी व्यक्ति(व्यक्तियों) के खिलाफ रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री कथित अपराधों के कमीशन में ऐसे किसी भी व्यक्ति(व्यक्तियों) की संलिप्तता का संकेत देती है, वह ऐसे किसी भी व्यक्ति(व्यक्तियों) के खिलाफ कानून के अनुसार आगे बढ़ने और हमारी किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना कार्यवाही को उसके तार्किक अंत तक लाने के लिए स्वतंत्र होगा।

37) जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है, बाहरी सीमा के रूप में, संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा एक वर्ष के भीतर समाप्त हो जाना चाहिए।

38) इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, अपील सफल होती है और तदनुसार अनुमति दी जाती है। क्रिमिनल एम.सी. क्रमांक 2641/2007 में पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, जेएमएफसी-II, एर्नाकुलम की फाइल पर 2002 की सीसी संख्या 2682 को कानून के अनुसार योग्यता के आधार पर मुकदमा चलाने के लिए उसकी फाइल में बहाल कर दिया गया है।

देविका गुजराल अपील स्वीकृत की गई।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

Sandeep

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"